थाना लालगंज पुलिस द्वारा बच्चियों के अपहरण का आरोपी वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.7.2020 को समय करीब सायं 05.00 बजे अभियुक्त दीपक चौबे पुत्र श्रीनारायण चौबे उर्फ बबलू दूबे उम्र करीब-19 वर्ष निवासी ग्राम मुन्शीपुर थाना लालगंज मीरजापुर, वादी सुरेन्द्र दुबे पुत्र स्व0 भोलानाथ हालपता लहंगपुर (मूल निवास कोल्हुआ लालगंज) की 18 माह की पुत्री देविका जो दरवाजे पर खेल रही थी उसे मोटरसाईकिल से लेकर भागने लगा तो दूसरी पुत्री दिव्याशी उम्र 06 वर्ष 06 माह पीछे-पीछे दौडने लगी तो उसे भी लेकर दीपक भागने लगा,दिव्याशी के शोर मचाने पर करीब डेढ़ किलोमीटर दूर ग्राम गंगहरा खूर्द के पास जाते-जाते मोटरसाईकिल से दोनो बच्चियां गिर कर घायल हो गयी, दीपक मौके से भाग गया। वादी नें तहरीर दिया कि उसे विश्वास है कि उसके सगे चाचा शोभनाथ दूबे पुत्र स्व0 सूरज प्रसाद दूबे निवासी कोल्हुआ थाना लालगंज मीरजापुर के घर दीपक का आना जाना है चाचा शोभनाथ की ही साजिश में ही दीपक चौबे वादी की पुत्रियों का अपहरण कर ले जा रहा था, इस संबंध में दीपक व शोभनाथ के विरुद्ध थाना लालगंज पर मु0अ0स0-178/2020 धारा 364,511,120 बी भा0द0वि पंजीकृत किया गया था,उक्त अभियोग के वाछिंत अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त दीपक चौबे पुत्र श्रीनारायण चौबे उर्फ बबलू दूबे निवासी मुन्शीपुर थाना लालगंज मीरजापुर को उ0नि0 अक्षयलाल भारती मयहमराह का0 मजहर खां द्वारा आज दिनांक 15.07.2020 को समय 11.00 बजे मुन्शीपुर उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।